तम्बाकू स्वास्थ्य ही नहीं पर्यावरण के लिए भी खतरा

फैक्टशीट –2022

मध्य प्रदेश में तम्बाकू उत्पाद कचरे/अपशिष्ट का पर्यावरण पर बोझ (एक अध्ययन)

उद्देश्य एवं पद्धति

तम्बाकू के धूम्रपान और चबाने वाले उत्पादों से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निकलने वाला कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, एल्यूमिनियम फॉइल/पन्नी और फिल्टर कचरे के संदर्भ में पर्यावरण के बोझ का आंकलन करने के लिए एक अध्ययन आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज जोधपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च यूनिट (ICMR), द युनियन के तकनीकी एवं मध्य प्रदेश वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन के राज्य स्तरीय सहयोग से देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 33 जिलों में किया गया। अध्ययन के लिए 200 तम्बाकू उत्पादों के पैकेट/पाउच को देश के विभिन्न जिलों से इकट्ठा किया गया जिसमें 70 सिगरेट ब्रांड, 94 बीड़ी ब्रांड और 58 धूम्ररहित तम्बाकू ब्राण्ड शामिल थे।

सुनिश्चित किया गया की देश भर के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व मिले। इन तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग में मौजूद प्लास्टिक, कागज, एल्यूमिनियम फॉइल/पन्नी और फिल्टर सामग्री का वजन लिया गया और उसे वैश्विक वयस्क तम्बाकू सर्वेक्षण 2016–17 के डाटा से सहसंबद्ध (Correlate) किया गया।

प्रतिवर्ष तंबाकू उत्पादों से उत्पन्न होने वाला प्लास्टिक का कचरा

	मध्य प्रदेश
● सिगरेट से उत्पन्न कुल वार्षिक प्लास्टिक कचरा	38.9 टन
● बीड़ी द्वारा उत्पन्न कुल वार्षिक प्लास्टिक कचरा	514.33 टन
● चबाने वाले तम्बाकू से उत्पन्न कुल वार्षिक प्लास्टिक कचरा	4923.26 टन
● तम्बाकू उत्पादों के सभी रुपों से उत्पन्न होने वाला कुल वार्षिक प्लास्टिक कचरा	5476.48 टन

प्रतिवर्ष तंबाकू उत्पादों से उत्पन्न होने वाला कागज का कचरा

	मध्य प्रदेश
● सिगरेट से उत्पन्न कुल वार्षिक कागज कचरा	598.93 टन
● बीड़ी द्वारा उत्पन्न कुल वार्षिक कागज कचरा	437.73 टन
● चबाने वाले तंबाकू द्वारा उत्पन्न कुल वार्षिक कागज कचरा	3972.18 टन
● तम्बाकू उत्पादों के सभी रुपों से उत्पन्न होने वाला कुल वार्षिक कागज कचरा	4409.9 टन

The Union
International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solution for the poor

MPVHA
म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

प्रतिवर्ष तम्बाकू उत्पादों से उत्पन्न होने वाला एल्यूमिनियम फॉइल/पन्नी का कचरा	
	मध्य प्रदेश
● तम्बाकू उत्पादों (सिगरेट) द्वारा उत्पन्न कुल वार्षिक एल्यूमिनियम फॉइल/पन्नी का कचरा।	115.81 टन

प्रतिवर्ष तम्बाकू उत्पादों से उत्पन्न होने वाला फिल्टर का कचरा	
	मध्य प्रदेश
● सिगरेट से उत्पन्न कुल वार्षिक फिल्टर का कचरा	24.99 टन
● बीड़ी द्वारा उत्पन्न कुल वार्षिक फिल्टर का कचरा	2.74 टन
● तम्बाकू उत्पादों के सभी रुपों से उत्पन्न कुल वार्षिक फिल्टर का कचरा	27.73 टन

प्रतिवर्ष तम्बाकू उत्पादों के उत्पन्न होने वाला कुल कचरा	
	मध्य प्रदेश
● सभी तंबाकू उत्पादों से प्रतिवर्ष उत्पन्न कचरा (कागज+ प्लास्टिक+एल्यूमिनियम फॉइल /पन्नी+फिल्टर)	10,628.85 टन
● सिगरेट द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न कचरा	778.63 टन
● बीड़ी द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न कचरा	954.79 टन
● चबाने वाले तम्बाकू द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न कचरा	8895.43 टन

तम्बाकू उत्पादों के उत्पन्न कुल वार्षिक कचरा इन सब के बराबर है	
	मध्य प्रदेश
● प्लास्टिक कचरा	54,76,480 बाल्टी
● कागज	1,09,009 पेड़
● पेपर	58,96,383 नोटबुक्स
● एल्यूमिनियम फॉइल (पन्नी)	1 बोइंग विमान
● फ़िल्टर	1,84,321 टीशर्ट

सिफारिशे

- तम्बाकू उत्पाद से उत्पन्न होने वाला कचरा विविध रुपों में मौजूद है। तम्बाकू उत्पादों पर वित्तिय भार बढ़ाने की जरुरत है साथ ही ऐसी नीतिया बनाने की जरुरत है जो कचरे के इस बोझ को कम करे।
- तम्बाकू उत्पाद कचरे की सफाई की भारी लागत को देखते हुए, मौजूदा विनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाना और तंबाकू कचरे के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए मजबूत मापदंड समय की जरुरत है।
- कोई भी तम्बाकू उत्पाद पुरी तरह से पर्यावरण कानूनों और संबंधित नीतियों का अनुपालन नहीं करता है। तम्बाकू कंपनियाँ और उनके शेयरधारकों को तम्बाकू उत्पादों के कचरे से पर्यावरण के बोझ को कम करने की पुरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
- ठोस अपशिष्ट/कचरे के मौजूदा पर्यावरण कानूनों और संबंधित नीतियों के उल्लंघन की कड़ाई से निगरानी, रिपोर्टिंग और विनियमन किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके ।
- पर्यावरण और मानव शरीर पर प्लास्टिक के अपरिवर्तनिय प्रभाव को देखते हुए तम्बाकू उत्पादों से उत्पन्न अनावश्यक प्लास्टिक कचरे के प्रभावी उन्मुलन के लिये नीतिगत बदलाव की जरुरत है।
- तम्बाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत जरुरी।
- तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए वेंडर लाइसेंसिंग होनी चाहिए ताकि यत्र तत्र तम्बाकू उत्पाद ना बिके।
- स्वच्छता अभियान में तम्बाकू नियंत्रण को भी शामिल करना चाहिए।
- तम्बाकू उत्पादों के भ्रामक प्रचार को रोकना चाहिए।
- युवाओं एवं बच्चों को तम्बाकू आपदा से बचाने के लिए तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाना अत्यंत जरुरी।

भारत और मध्य प्रदेश में तम्बाकू आपदा

Global Adult Tobacco Survey (GATS-2) : 2016–17 के अनुसार तम्बाकू सेवन करने वालों का प्रतिशत

	भारत	मध्य प्रदेश
● तम्बाकू उपयोगकर्ता	28.6 %	34.2 %
● सिगरेट पीने वाले	4.0 %	1.3 %
● बीड़ी पीने वाले	7.7 %	9.1 %
● चबाने वाले तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने वाले	21.4 %	28.1 %
● धूम्रपान करने वाले	10.7 %	10.2 %

म.प्र.वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

म. प्र. वॉलन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन

पोस्ट कस्तूरबाग्राम, बिलावली तालाब के पास, खण्डवा रोड़, इन्दौर –452 020

Phone : 9752122520 Email : mpvha1973@gmail.com